गोपाल उर्फ गोपालसिंह — संज्यादेवी 34/2011

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20.7.18	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। का [illegible] पुकारा पश्चात [illegible] हेतु नियत [illegible] 34/18 के संबंध लोकअदालत [illegible] नहीं [illegible] नियत दिनांक 31-7-18 को पेश हो।	
31-7-18	पत्रावली प्रस्तुत वकील [illegible] 16.10.18	
16.10.18	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली [illegible] 34/18 [illegible] पेश हो। पत्रावली दिनांक 17.12.18 को पेश हो।	
17-12-18	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं अपीलांट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई। व्यवसाय समय सायंकाल 6 बजे तक बार बार आवाज दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलांट एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। पश्चात अपील अपीलांट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 17/12/18 प्रबन्ध अधिकारी एव प्रदेश राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official